



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 28 जनवरी 2026—माघ 8, शक 1947

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2026

क्र.-PHME-0974-2025-सत्रह-M-1.- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 50 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त नियमों के प्रयोजन के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश के निम्नलिखित अधिकारियों को नियंत्रण प्राधिकारी नियुक्त करती है, अर्थात्:-

1. श्री राजेश जीनवाल, वरिष्ठ औषधि निरीक्षक.
2. श्री धर्मेश बिगोनिया, औषधि निरीक्षक.

PHME-0974-2025-XVII-M-1.- In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 50 of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, the State Government, hereby, appoints the following Officers of Food and Drugs Administration, Madhya Pradesh to be the Controlling Authority for the purpose of the said rules, nemely:-

- 1 Shri Rajesh Jinwal, Senior Drugs Inspector.
- 2 Shri Dharmesh Bigoniya, Drugs Inspector.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मलिका निगम नागर, उपसचिव.